भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/66/2017 दिनांक: 01 अगस्त, 2017

विषय: दूतावास अधिकारियों/कर्मचारियों के पंजीकरण एवं ईटीपीबीएस सुविधाओं, प्रवासी (एनआरआई) निर्वाचकों की पंजीकरण प्रक्रिया और यूएसए में कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में युवा निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान पर बैठक।

भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के दल, जिसमें श्री उमेश सिन्हा, वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त एवं श्री संदीप सक्सेना, उप निर्वाचन आयुक्त शामिल थे, ने सेवा मतदाताओं के रूप में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के पंजीकरण की प्रक्रिया और इलेक्ट्रॉनिक से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली के प्रचालन की प्रणाली के बारे में सीजी प्रभारी, सुश्री परिमीता त्रिपाठी, वाणिज्य दूतावास के उप सीजी एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ 31 जुलाई, 2017 को न्यूयार्क में वाणिज्य दूतावास भवन में बैठक की। वाणिज्य दूतवास ने यू.एस. में भारतीय प्रवासी निर्वाचकों के पंजीकरण एवं प्रतिभागिता विषय पर लगभग 30 एनआरआई प्रतिनिधियों और लगभग एक दर्जन मीडियाकर्मियों के साथ आयोग के अधिकारियों के एक इंटरएक्टिव सत्र का भी आयोजन करवाया। इंटरएक्टिव सत्र के दौरान, श्री सिन्हा एवं श्री सक्सेना ने प्रवासी निर्वाचकों के लिए पात्रता मापदंडों, पंजीकरण की प्रक्रिया, मतदान की वर्तमान प्रणाली, मतदान की प्रस्तावित प्रणाली एवं कालेजों/विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों और वर्क परमिट अथवा ग्रीन कार्ड पर रहे भारत के नागरिकों के लिए अभियान चलाने की कार्यपद्धति के बारे में बताया। भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने प्रवासी निर्वाचकों के पंजीकरण एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने में मीडिया, एनआरआई संगठनों, भारतीय विद्यार्थी समुदाय के प्रतिनिधियों से सहयोग किए जाने का अनुरोध किया। भारत के सुप्रसिद्ध अराजनीतिक व्यक्तियों की पहचान करने के लिए विशेष अपील की गई जो आयोग के लिए आइकन के रूप में काम कर सकते हैं। यह परिकल्पित किया गया कि भारत के पैटर्न पर हम विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के अनुभवी विद्यार्थियों को उनके स्वयं के परिसर (कैम्पस) के लिए कैम्पस एम्बेसेडर के रूप में बना सकते हैं। मीडिया से भी अपील की गई कि वे युवा मतदाता और शेष प्रवासी निर्वाचकों के रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नया अभियान चलाएं।

प्रवासी निर्वाचकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए यह सूचित किया गया था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क प्रवासी निर्वाचक को ऐसे व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट करती है, जो भारत का नागरिक है, जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, अर्हक तिथि अर्थात निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हे और रोजगार, शिक्षा आदि के लिए भारत से दूर है। ऐसे व्यक्ति जो अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत के नागरिक नहीं रह गए हैं, वे भारत में निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत होने के पात्र नहीं हैं। एक अनुमान के अनुसार, लगभग 1 करोड़ 60 लाख प्रवासी भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 13000 विद्यार्थी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं और लगभग 5 लाख भारतीय नागरिक विभिन्न संगठनों में कार्य कर रहे हैं एवं कई हजार व्यकित व्यापार और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं।/ यद्यपि, भारत में बहुत कम संख्या में लोग प्रवासी (एनआरआई) निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत हैं।

यह उल्लेख किया गया कि प्रवासी भारतीय (एनआरआई) के रूप में पंजीकरण करने के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र, जिसके भीतर भारत में आवेदक का वह मामूली निवास, जैसाकि पासपोर्ट में दिया गया हो, आता है, के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ)के समक्ष फार्म 6क में आवेदन भरा जाना आवश्यक है। संबंधित दस्तावेजों की सम्यक् रूप से स्व–अभिप्रमाणित प्रति के साथ आवेदन व्यक्तिश: दाखिल किया जा सकता है या ईआरओ को संबंधित डाक द्वारा भेजा जा सकता है या भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की वेबसाइट (www.eci.nic.in) और (www.nvsp.in) पर ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है एवं पासपोर्ट की प्रतियां और अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे कि वीजा की प्रतियां अपलोड की जा सकती हैं। फार्म 6क उपर्युक्त वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता हे या विदेश में भारतीय मिशनों से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है। विधिवत रूप से भरे गए फार्म 6क की हार्ड प्रति के साथ हाल ही में ली गई पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो पासपोर्ट के फोटो वाले संगत पृष्ठों की स्व–अभिप्रमाणित प्रतियां, भारत में उनका पता और आवेदक के अन्य सभी विवरण एवं पासपोर्ट के विधिमान्य वीजा पृष्ठांकन वाले पृष्ठ भी या तो ईआरओ को डाक द्वारा या व्यक्तिश: भेज सकते हैं या ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विवरण एवं आवेदक के आवासीय पता के लिए मतदान केन्द्र वेबसाइट (www.eci.nic.in) और (www.nvsp.in) से प्राप्त किए जा सकते हैं।

पंजीकरण की प्रक्रिया के अधीन, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का परिवार के सदस्यों/संबंधियों या पड़सियों, यदि कोई हों से सत्यापन करवाने के लिए कह सकते हैं। यदि फार्म 6क सभी दृष्टियों में पूर्ण है तथा सभी संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न है और किसी भी

व्यक्ति ने 7 दिनों के नियत समय के अंदर कोई आपत्ति नहीं की है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने का आदेश दे सकते हैं। आवेदन की स्थिति को वेबसाइट (www.eci.nic.in) और (www.nvsp.in) पर ट्रैक किया जा सकता है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का निर्णय आवेदक को फार्म 6क में उसके द्वारा दिए गए विदेश के पते पर डाक द्वारा और फार्म 6क में उसके द्वारा दिए गए ई-मेल/मोबाइल नम्बर पर एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा।

निर्वाचक नामावलियों में गलितयों में कोई सुधार करने के लिए, फार्म-8 में आवेदन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऑनलाइन/डाक द्वारा/व्यक्तिश:से प्रस्तुत किए जाने होते है। प्रवासी (एनआरआई) निर्वाचक को अपने निवास के देश में वर्तमान आवासीय पते में परिवर्तन होने के बारे में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अवगत कराए रखना है। वापिस आने पर, प्रवासी निर्वाचक अपने आपको उस स्थान पर एक साधारण निर्वाचक के रूप में पंजीकृत करवा सकता हैं जहां वह भारत में मामूली रूप से निवासी है। पंजीकरण के पश्चात् प्रवासी (एनआरआई) निर्वाचक निर्वाचन-क्षेत्र में , किसी निर्वाचन में, उस भाग के लिए उपलब्ध करवाए गए मतदान केन्द्र में, व्यक्तिश: उपना मत डालने में समर्थ होगा जिसमें वह एक प्रवासी (एनआरआई) निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है।

भारत निर्वाचन आयोग ने भारत सरकार से संस्तुति की है कि प्रवासी निर्वाचकों को, उसके द्वारा नियुक्त परोक्षी के माध्यम से, एकमार्गीय इलेक्ट्रॉनिक प्रेषित डाक मतपत्र के जरिए, मतदान करने की सुविधा प्रदान करें जिस पर संघ सरकार द्वारा सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है। सभी प्रवासी (एनआरआई) निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के प्रस्ताव पर भी भारत निर्वाचन आयोग में सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है। वर्तमान में, वे निर्वाचन-क्षेत्र में किसी निर्वाचन में अपना मूल पासपोर्ट प्रस्तुत करके मतदान केन्द्र में व्यकितश: अपने मत डाल सकते हैं। प्रवासी निर्वाचकों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए एक पॉवर प्वांइट प्रस्तुतीकरण भी किया गया जो अत्यन्त सरल तथा प्रयोक्तानुकूल है। इलेक्ट्रॉनिक प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ईटीपीबीएस) पर भी पॉवर प्वांइट प्रस्तुतीकरण पेश किया गया। इसे वर्तमान में सेवा मतदाताओं के लिए पायलट के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें भारतीय दूतावास एवं वाणिज्य दूतावास शामिल हैं। ईटीपीबीएस एक सुरक्षित प्रणाली है जो इन्सक्रिपशन प्रौद्योगिकी पर काम करती है तथा वैयक्तिक सूचना संख्या (पीआईएन) एवं एक बारगी पासवर्ड (ओटीपी) पर ऑपरेट होती है ओर डाक मतपत्र के लिए यात्रा समय को उल्लेखनीय रूप से कम कर देती है जिसके फलस्वरूप डाक मतपत्र के मतगणना से पहले वापस रिटर्निंग अधिकारी के पास यथासमय पहुंचने में मदद मिलती है। चर्चा अत्यन्त जीवंत और परस्पर संवादात्मक भी जिसमें विविध दृष्टिकोण साझा किए जाने के अलावा प्रवासी भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा अनेक अच्छे सुझाव दिए गए। भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए गए। प्रतिभागियों द्वारा एक आश्वासन दिया गया कि वे औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरीकों से, तथा सोशल मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा भी, उपलब्ध विभिन्न फोरम में प्रत्येक एकल पात्र प्रवासी निर्वाचक तक पहुंचने में भारत निर्वाचन आयोग के प्रयास को जोड़ने में मदद करेंगे। बैठक प्रवासी मतदाता पंजीकरण एवं निर्वाचन प्रक्रिया पर सूचना का प्रचार-प्रसार करने के लिए उपलब्ध सभी चैनलों का उपयोग करने के संकल्प के साथ सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई। यह आशा की जाती है कि बैठक से प्रवासी भारतीयों की एक बहुत बड़ी संख्या को निर्वाचकों, जो बाद में आगामी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का उपयोग करने में समर्थ होंगे, के रूप में पंजीकृत करने में मदद मिलेगी।

(सुमन कुमार दास)
अवर सचिव (मीडिया)